प्रत्याशी प्रबोधन: पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य

पंचायती राज आम चुनाव 2026 · ज़िला बालोतरा

बालोतरा में इन दोनों पदों के वोट ईवीएम से पड़ेंगे; यहाँ ECIL की MPSV मशीन लगेगी। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3]

प्रत्याशी प्रबोधन कार्यशाला · 10.10.2026 · स्रोत: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के आदेश और पुस्तकें

सावधान: अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं; इसमें उनसे कुछ अलग दिखे, तो आदेश और नियम ही मानिए।

नामांकन किसके पास जमा होगा?

आधार: नियम 58 "पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन", राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

पद	रिटर्निंग अधिकारी को कौन नियुक्त करते हैं	मुख्यालय
पंचायत समिति सदस्य	ज़िला निर्वाचन अधिकारी, नियम 58(2) के तहत	पंचायत समिति स्तर पर
ज़िला परिषद सदस्य	राज्य निर्वाचन आयोग	ज़िला स्तर पर

स्रोत: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6

- नियम 58 में भी यही लिखा है: पंचायत समिति के सदस्यों के लिए रिटर्निंग अधिकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियुक्त करेंगे, और ज़िला परिषद के सदस्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। [**नियम 58(2), 58(3)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 74]
- नामांकन पत्र आपको खुद जाकर रिटर्निंग अधिकारी को देना है। किसी और के हाथ भेजा, तो वह सही तरीके से जमा हुआ नहीं माना जाएगा और खारिज हो जाएगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7]
- नाम वापसी का नोटिस भी आपको खुद जाकर ही रिटर्निंग अधिकारी को देना है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7]

पंचायत समिति सदस्य: नामांकन से नाम वापसी तक

आधार: राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश 9836, दि. 03.10.2026 (चुनाव कार्यक्रम)

काम	तीसरा चरण	चौथा चरण
सार्वजनिक सूचना	19.10.2026 (सोमवार)	31.10.2026 (शनिवार)
नामांकन की आखिरी तारीख (दोपहर 3 बजे तक)	23.10.2026 (शुक्रवार)	04.11.2026 (बुधवार)
संवीक्षा (सुबह 11 बजे से)	24.10.2026 (शनिवार)	05.11.2026 (गुरुवार)
नाम वापसी (दोपहर 3 बजे तक), उसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न और लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची	26.10.2026 (सोमवार)	06.11.2026 (शुक्रवार)

स्रोत: आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8

- नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जाएँगे। आख़िरी तारीख वाली पंक्ति में '(सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)' भी लिखा है। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8]
- तीसरे चरण में सिणधरी, गिडा, कल्याणपुर, गुडामालानी, धोरीमन्ना और समदड़ी पंचायत समितियाँ हैं; चौथे चरण में बालोतरा, पादरू, पायला कलां, पाटोदी और सिवाना। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12]
- नियम 58 में भी यही क्रम है: संवीक्षा नामांकन की आख़िरी तारीख के अगले दिन होती है। [**नियम 58(1)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 73]

आयोग के आदेश में पंचायत समिति की तारीखें

• पंचायत समिति सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु समय सारणी

क्र.स.	कार्य का विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	चतुर्थ चरण
1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	08.10.2026 (गुरूवार)	13.10.2026 (मंगलवार)	19.10.2026 (सोमवार)	31.10.2026 (शनिवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	13.10.2026 (मंगलवार) अपराह्न 3:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)	16.10.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)	23.10.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)	04.11.2026 (बुधवार) अपराह्न 3:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
3	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
4	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	14.10.2026 (बुधवार) प्रातः 11:00 बजे से	17.10.2026 (शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से	24.10.2026 (शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से	05.11.2026 (गुरूवार) प्रातः 11:00 बजे से
5	नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय	15.10.2026 (गुरूवार) अपरान्ह 3:00 बजे तक	19.10.2026 (सोमवार) अपरान्ह 3:00 बजे तक	26.10.2026 (सोमवार) अपरान्ह 3:00 बजे तक	06.11.2026 (शुक्रवार) अपरान्ह 3:00 बजे तक
6	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	15.10.2026 (गुरूवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्	19.10.2026 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्	26.10.2026 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्	06.11.2026 (शुक्रवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्

मूल: आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

- पीले कॉलम: तीसरा और चौथा चरण। समदड़ी तीसरे चरण में है। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 12]
- तीसरा चरण: सूचना 19.10.2026; नामांकन की आखिरी तारीख 23.10.2026, दोपहर 3 बजे तक; संवीक्षा 24.10.2026, सुबह 11 बजे से; नाम वापसी 26.10.2026, दोपहर 3 बजे तक; उसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न और लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8]
- चौथा चरण: 31.10.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 06.11.2026। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8]
- नामांकन सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8]

ज़िला परिषद सदस्य: पूरे ज़िले की एक तारीख

आधार: राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र 9867, दि. 03.10.2026 (ज़िला परिषद का बदला कार्यक्रम)

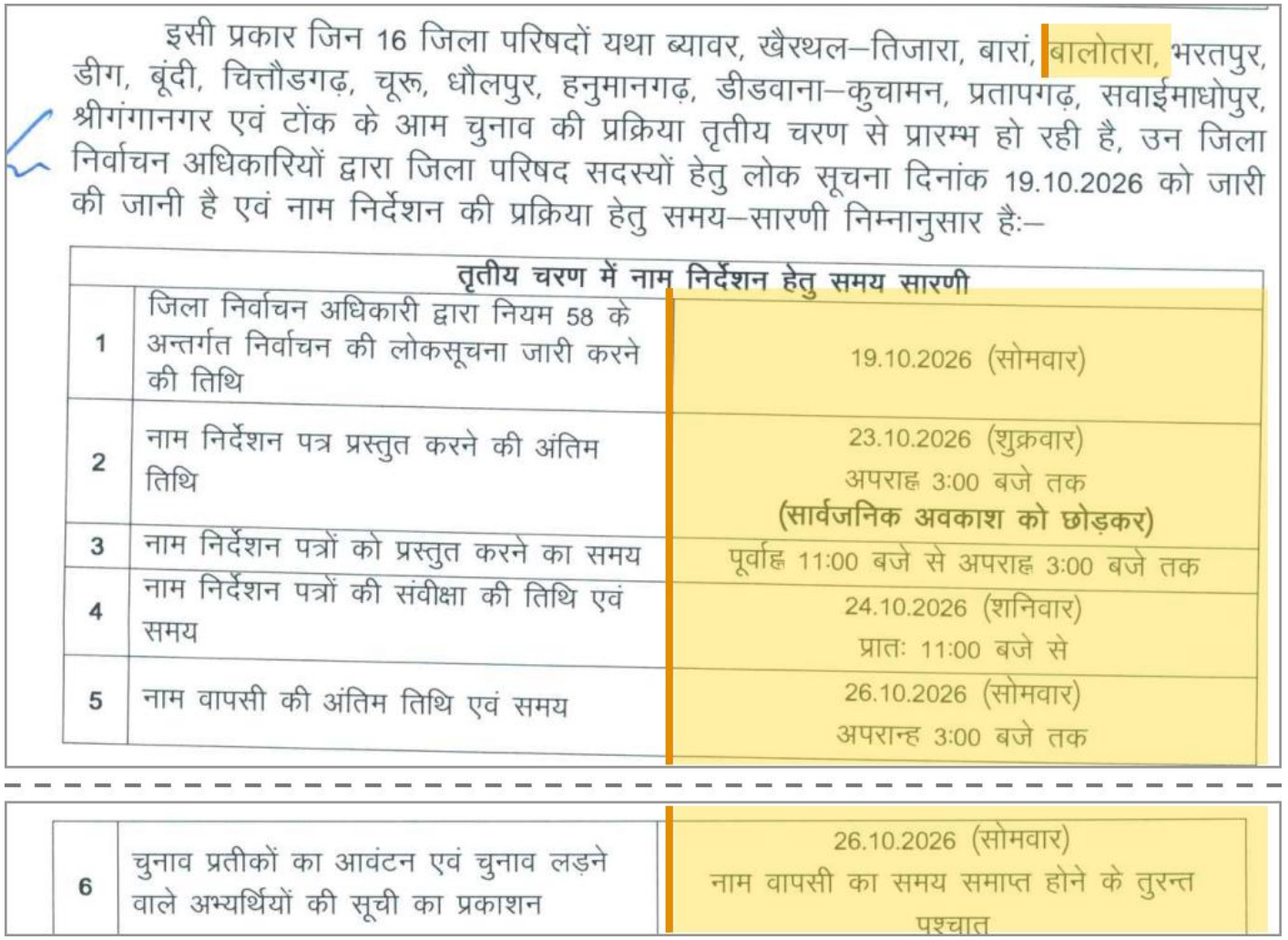
काम	तारीख
सार्वजनिक सूचना	19.10.2026 (सोमवार)
नामांकन की आखिरी तारीख (दोपहर 3 बजे तक)	23.10.2026 (शुक्रवार)
संवीक्षा (सुबह 11 बजे से)	24.10.2026 (शनिवार)
नाम वापसी (दोपहर 3 बजे तक), उसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न और लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची	26.10.2026 (सोमवार)

स्रोत: आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2–3

- ज़िला परिषद के नामांकन उस चरण के हिसाब से होते हैं, जिसमें ज़िले का चुनाव शुरू होता है। बालोतरा का चुनाव तीसरे चरण से शुरू होता है, इसलिए पूरे ज़िले के नामांकन तीसरे चरण की तारीखों पर, सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक। [आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 1–3]

तारीख बदली है: 03.10.2026 वाले मूल कार्यक्रम में ज़िला परिषद के नामांकन 08.10.2026 से 15.10.2026 तक थे; उसी दिन के पत्र 9867 ने इसे बदल दिया। बालोतरा के लिए सही तारीखें 19.10.2026 से 26.10.2026 हैं। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7; आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2–3]

आयोग के पत्र में ज़िला परिषद का बदला कार्यक्रम



इसी प्रकार जिन 16 जिला परिषदों यथा ब्यावर, खैरथल–तिजारा, बारां, बालोतरा, भरतपुर, डीग, बूंदी, चित्तौडगढ़, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, डीडवाना–कुचामन, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर एवं टोंक के आम चुनाव की प्रक्रिया तृतीय चरण से प्रारम्भ हो रही है, उन जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा जिला परिषद सदस्यों हेतु लोक सूचना दिनांक 19.10.2026 को जारी की जानी है एवं नाम निर्देशन की प्रक्रिया हेतु समय–सारणी निम्नानुसार है:–

तृतीय चरण में नाम निर्देशन हेतु समय सारणी

1	जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी करने की तिथि	19.10.2026 (सोमवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	23.10.2026 (शुक्रवार) अपराह्न 3:00 बजे तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर)
3	नाम निर्देशन पत्रों को प्रस्तुत करने का समय	पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
4	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि एवं समय	24.10.2026 (शनिवार) प्रातः 11:00 बजे से
5	नाम वापसी की अंतिम तिथि एवं समय	26.10.2026 (सोमवार) अपरान्ह 3:00 बजे तक
6	चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन	26.10.2026 (सोमवार) नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात

मूल: आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2–3 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

- पीला बॉक्स: बालोतरा उन 16 ज़िला परिषदों में है, जिनका चुनाव तीसरे चरण से शुरू होता है। [आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2]
- पीला कॉलम: इन ज़िलों में ज़िला परिषद के नामांकन तीसरे चरण की तारीखों पर: सूचना 19.10.2026; नामांकन 23.10.2026 दोपहर 3 बजे तक; संवीक्षा 24.10.2026 सुबह 11 बजे से; नाम वापसी 26.10.2026 दोपहर 3 बजे तक; उसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न और लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। [आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2–3]

मतदान कब है, और गिनती कब और कहाँ

आधार: आयोग का आदेश 10090, दि. 06.10.2026, और आदेश 9836, दि. 03.10.2026

काम	तीसरा चरण	चौथा चरण
ज़िला परिषद और पंचायत समिति का मतदान (सुबह 7 से शाम 6 बजे)	03.11.2026 (मंगलवार)	14.11.2026 (शनिवार)

स्रोत: आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9

- ज़िला परिषद और पंचायत समिति के वोटों की गिनती 20.11.2026 (शुक्रवार) को सुबह 8 बजे से ज़िला मुख्यालय पर होगी। बालोतरा के दोनों चरणों के वोट उसी दिन गिने जाएँगे। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9]
- गिनती ज़िला मुख्यालय पर होती है, इसलिए मतदान खत्म होते ही मशीनें और बाकी काग़ज़ वहाँ पहुँचाने की व्यवस्था की जाती है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6]
- तीसरे चरण की यह तारीख आयोग के आदेश 10090 (06.10.2026) की है; 03.10.2026 वाले आदेश 9836 में यह 04.11.2026 लिखी थी। चौथे चरण की तारीख आदेश 9836 की है। [आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 9]

ये बातें किन किताबों और आदेशों से हैं

आधार: हर पंक्ति के आगे उसका स्रोत लिखा है

किताब या क़ानून	इसमें क्या है	स्रोत
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, और राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994	चुनाव का क़ानून और उसके नियम। आयोग की दोनों मार्गदर्शिकाओं में ये परिशिष्ट-3 और परिशिष्ट-4 पर छपे हैं।	ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 4
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	प्रचार वाले आदेश 5052 में इसकी धारा 127-क (पोस्टर) और धारा 133 और 123(5) (वाहन की अनुमति) का हवाला है।	आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99, 100
राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता	उम्मीदवार और उसके कार्यकर्ता क्या करें, क्या न करें। आयोग के संकलन में छपी है।	संकलन, पृ. 80
मतपेटी मार्गदर्शिका और ईवीएम मार्गदर्शिका	आयोग की दो मार्गदर्शिकाएँ; अधिनियम और नियम इनके परिशिष्ट में छपे हैं।	ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 4
आयोग का संकलन	आयोग के आदेशों का संग्रह; चुनाव चिह्न, प्रचार और जमानत वाले आदेश इसी में हैं।	आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 98
पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी)	आयोग की वेबसाइट पर रखी पुस्तिका; जमानत जब्त होने की शर्तें इसी से ली हैं।	पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 119

- हर बात के आगे कोष्ठक में पहले क़ानून का हिस्सा, फिर किताब और पेज लिखा है। जैसे इस पंक्ति का कोष्ठक बताता है: बात नियम 27 की है, और मतपेटी मार्गदर्शिका के उस पेज पर छपी है। [**नियम 27** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]

इस प्रस्तुति में किन क़ानूनों का हवाला है

आधार: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994: इसकी धाराएँ, और उनके छपे हुए शीर्षक

धारा, और उसका छपा शीर्षक	आसान शब्दों में	स्रोत
धारा 19 “किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं”	कौन चुनाव लड़ सकता है: मतदाता सूची में नाम हो, उम्र 21 साल हो, और कोई अयोग्यता लागू न हो।	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 54
धारा 19-ख “किसी पंचायतीराज संस्था में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध”	एक ही संस्था में एक से ज़्यादा सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक, और ऐसा हो जाए तो क्या करना है।	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 57
धारा 20 (अंग्रेज़ी पुस्तिका में शीर्षक: “Restriction on simultaneous or double membership of a Panchayati Raj Institution”)	एक साथ दो या ज़्यादा पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य रहने पर रोक, चुनाव लड़ने पर नहीं; दो जगह चुने गए, तो 14 दिन में एक चुननी होगी। इसका पाठ मार्गदर्शिका के परिशिष्ट में नहीं छपा, अंग्रेज़ी क़ानून पुस्तिका में है।	पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 63; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27
धारा 22-क “यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन”	वाहन, लाउडस्पीकर, पोस्टर और बैनर पर आयोग की पाबंदी, और उसे तोड़ने की सज़ा।	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 57–58

निर्वाचन नियमों के कौन-से नियम आए हैं

आधार: राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994: इसके नियम, और उनके छपे हुए शीर्षक

नियम, और उसका छपा शीर्षक	आसान शब्दों में	स्रोत
नियम 25 “नाम निर्देशन-पत्रों का पेश किया जाना”	नामांकन पत्र कैसे भरना और देना है।	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62
नियम 27 “नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा”	नामांकन पत्रों की जाँच कैसे होगी, और किन कारणों से कोई पत्र खारिज हो सकता है।	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62
नियम 28 “अभ्यर्थिता वापस लेना”	नाम वापस कैसे लेना है।	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 63
नियम 58 “पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन”	इन दो पदों का चुनाव: तारीखें कौन तय करेगा, रिटर्निंग अधिकारी कौन होंगे, और मशीन वाले चुनाव में कौन-से नियम लागू होंगे।	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 73–74
नियम 68 “निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण”; नियम 69 “मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति”; नियम 70 “गणन अभिकर्ता की नियुक्ति”	आपके तीन तरह के अभिकर्ता (एजेंट) और उनकी नियुक्ति।	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 75–76

बालोतरा के लिए आयोग के आदेश

आधार: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के आदेश और पत्र

आदेश	इस प्रस्तुति में किस बात के लिए	स्रोत
आदेश 9836, दि. 03.10.2026	चुनाव कार्यक्रम: चरण, तारीखें और समय; बालोतरा में ईवीएम और MPSV मशीन।	आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3
पत्र 9867, दि. 03.10.2026	ज़िला परिषद के नामांकन की बदली हुई तारीखें।	आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2–3
आदेश 10090, दि. 06.10.2026	मतदान की तारीखें।	आदेश 10090, दि. 06.10.2026, पृ. 1
आदेश 10062, दि. 06.10.2026	ज़िला परिषद और पंचायत समिति के नामांकन के साथ लगने वाले काग़ज़।	आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1–3
आदेश 10055, दि. 06.10.2026	सरपंच की जमानत वाला नियम, जो इन दो पदों पर लागू नहीं होता।	आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 2

संकलन में छपे आयोग के आदेश

आधार: राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश, आयोग के संकलन से

आदेश	इस प्रस्तुति में किस बात के लिए	स्रोत
आदेश 4196, दि. 17.10.2025	चुनाव चिह्न: दल का उम्मीदवार कौन माना जाएगा, प्रतिस्थानी, और चिह्न कैसे मिलेंगे।	आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 179
आदेश 5052, दि. 23.12.2025	वाहन, लाउडस्पीकर, पोस्टर, बैनर, और खर्च की सीमा।	आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 98
परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019, परिपत्र 2283, दि. 09.07.2019, और पत्र 594, दि. 19.01.2026	जमानत लौटाने और जब्त करने का तरीका।	पत्र 594, दि. 19.01.2026, संकलन पृ. 400
आदेश 753, दि. 20.01.2026	जीतने वाले की जमानत जब्त नहीं होगी।	आदेश 753, दि. 20.01.2026, संकलन पृ. 447
आदेश 980, दि. 24.01.2026	कानून-व्यवस्था; मतदान से पहले और गिनती के दिन शराब पर रोक।	आदेश 980, दि. 24.01.2026, संकलन पृ. 85
आदेश 5936, दि. 12.12.2019	नामांकन के साथ लगने वाला शपथ पत्र (उपाबन्ध-I A)।	आदेश 5936, दि. 12.12.2019, संकलन पृ. 258

- चिह्न वाले आदेश 4196 का पूरा नाम: राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2025। [आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 179]

कौन-सा फ़ॉर्म किस काम का: नामांकन

आधार: आदेश 10062, दि. 06.10.2026, और प्ररूप 4घ (परिशिष्ट-6-B)

फ़ॉर्म	किस काम का	कौन भरेगा	स्रोत
प्ररूप 4-क	नामांकन पत्र	आप (उम्मीदवार)	आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1
प्ररूप 4घ	लंबित मुकदमों और सज़ा की घोषणा; संतान वाला बिन्दु 3 अब नहीं भरना	आप, रिटर्निंग अधिकारी के सामने	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 81; आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1
उपाबन्ध-I A	शपथ पत्र, ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, प्रमाणित करवाकर	आप	आदेश 5936, दि. 12.12.2019, संकलन पृ. 260; आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1
शौचालय की घोषणा	घोषणा; प्रमाणित करवाने की ज़रूरत नहीं	आप	आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2
सांख्यिकी सूचना का फ़ॉर्म	आँकड़ों के लिए; न दिया तो भी नामांकन खारिज नहीं	आपसे भरवाया जाएगा	आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1–3

कौन-सा फ़ॉर्म किस काम का: दल और अभिकर्ता

आधार: आदेश 4196 (चुनाव चिह्न), और नियम 68, 69, 70, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

फ़ॉर्म	किस काम का	कौन भरेगा	स्रोत
प्ररूप 'ख' (आदेश 4196)	दल का उम्मीदवार कौन है; स्तम्भ 6 में प्रतिस्थानी	दल के अध्यक्ष या उनके अधिकृत व्यक्ति	आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180, 181
प्ररूप 'क' (आदेश 4196)	अधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर	दल	आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180
प्ररूप-8	निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति	आप	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 75
प्ररूप-9	मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, दो प्रतियों में	आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76
प्ररूप-10	गणन अभिकर्ता की नियुक्ति, दो प्रतियों में	आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता	मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76

कौन-सा फ़ॉर्म किस काम का: प्रचार और जमानत

आधार: आयोग का आदेश 5052, दि. 23.12.2025 (प्रचार), और परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (जमानत)

फ़ॉर्म	किस काम का	कौन भरेगा या देगा	स्रोत
प्ररूप 'ख' (आदेश 5052)	वाहन की अनुमति; उसी वाहन पर लगाकर रखनी है	रिटर्निंग अधिकारी देंगे	आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99
प्ररूप 'ग' (आदेश 5052)	लाउडस्पीकर की अनुमति	सक्षम अधिकारी देंगे	आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100, 104
प्ररूप 'क' (आदेश 5052)	चुनाव खर्च का हिसाब, नतीजे के 15 दिन के अंदर	ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) के सामने पेश होगा	आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100
प्रपत्र-1 (परिपत्र 2178)	जमानत वापस लेने का आवेदन, 15 दिन के अंदर	जिसकी जमानत लौटनी है	परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ), संकलन पृ. 402
प्रपत्र-2A (परिपत्र 2178)	जमानत जब्त करने का आदेश, नतीजे के 3 दिन के अंदर	यह आदेश होता है, आप नहीं भरते	परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ), संकलन पृ. 402

- ध्यान दें: आदेश 4196 और आदेश 5052, दोनों में 'क' और 'ख' नाम के प्ररूप हैं। ये अलग-अलग फ़ॉर्म हैं, एक नहीं। [आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180; आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]

कौन चुनाव लड़ सकता है

आधार: धारा 19 “किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं”, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

- उसी संस्था का मतदाता: धारा 19 के हिसाब से जिसका नाम किसी पंचायती राज संस्था की मतदाता सूची में दर्ज है, वह उस संस्था के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, अगर उस पर कोई अयोग्यता लागू न हो। [**धारा 19** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 54]
- उम्र 21 साल: धारा 19 में लिखा है कि जिसने 21 साल की उम्र पूरी कर ली है, वह 25 साल से कम उम्र होने के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। [**धारा 19** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 54]
- बकाया: धारा 19 के खण्ड (झ) और (ड) वाला कोई बकाया आप पर नहीं है, तो नामांकन के साथ किसी भी तरह का नो-ड्यूज देने की ज़रूरत नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1–3]

उम्र किस दिन की गिनी जाएगी, यह अगली स्लाइड पर है।

उम्र किस दिन की गिनी जाएगी?

आधार: धारा 19 "किसी पंच या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हताएं", राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

- धारा 19 में 21 साल की उम्र की बात है, पर उम्र किस तारीख को गिनी जाए, यह नहीं लिखा। [**धारा 19** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 54–56]
- मतपेटी मार्गदर्शिका में पंच और सरपंच के लिए लिखा है कि संवीक्षा के दिन 21 साल पूरे हों, और उम्र मतदाता सूची वाली नहीं, असली मानी जाएगी। उसी पैरा में नामांकन भरने की तारीख वाली उम्र की बात भी है। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- ईवीएम मार्गदर्शिका में भी पंच और सरपंच के लिए यही लिखा है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 64]
- ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए यह बात इन पैराओं में नहीं है, और संवीक्षा वाले नियम 27 में भी उम्र गिनने की कोई तारीख नहीं लिखी। [**नियम 27** · ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 151]
- SLMT की प्रशिक्षण सामग्री की जाँच-सूची में तारीख के खाने में 'On the date of scrutiny', यानी संवीक्षा की तारीख, लिखा है। यह प्रशिक्षण सामग्री है, नियम नहीं।

इन दो पदों में नामांकन और संवीक्षा अलग-अलग दिन हैं। जिसका 21वाँ जन्मदिन इन दो दिनों के बीच पड़ता है, वह जन्म का प्रमाण साथ रखे और रिटर्निंग अधिकारी से पक्का कर ले।

क्या एक से ज़्यादा सीट से लड़ सकते हैं?

आधार: धारा 19-ख "किसी पंचायतीराज संस्था में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध", राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

- धारा 19-ख के तहत कोई भी व्यक्ति पंचायत समिति में एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों से, और ज़िला परिषद में एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता। [**धारा 19ख** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- किसी ने एक ही संस्था में एक से ज़्यादा सीटों के लिए नामांकन भरा, तो संवीक्षा में उसका नामांकन इस वजह से खारिज नहीं होगा। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- पर नाम वापसी के तय समय के अंदर उसने एक सीट छोड़कर बाकी सब सीटों से नाम वापस नहीं लिया, तो सभी सीटों से उसकी उम्मीदवारी वापस मान ली जाएगी। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- धारा 19-ख में यह भी लिखा है कि बाकी सीटों से नाम वापसी लिखित सूचना से होगी, और वह नाम वापसी के तय समय और तारीख से पहले देनी होगी। [**धारा 19-ख** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 57]
- धारा 20 के तहत एक से ज़्यादा पंचायती राज संस्थाओं में एक साथ सदस्य रहने पर रोक है, पर चुनाव लड़ने पर नहीं: अगली स्लाइड। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27]

इसलिए एक संस्था में एक ही सीट से नामांकन भरिए। दो भर दिए हैं, तो नाम वापसी के समय तक एक छोड़कर बाकी से नाम वापस ले लीजिए। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27]

क्या एक साथ दो पंचायती राज संस्थाओं से लड़ सकते हैं?

आधार: धारा 20, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (पाठ: आयोग की अंग्रेज़ी क़ानून पुस्तिका)

- धारा 20 का पाठ मार्गदर्शिका के परिशिष्ट में नहीं छपा; यह आयोग की अंग्रेज़ी क़ानून पुस्तिका में है। उसमें शीर्षक है: “Restriction on simultaneous or double membership of a Panchayati Raj Institution”। [**धारा 20** · पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 63]
- धारा 20(1): क़ानून में जहाँ साफ़ छूट दी है, उसे छोड़कर कोई भी व्यक्ति एक साथ दो या ज़्यादा पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं रह सकता। [**धारा 20(1)** · पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 63]
- धारा 20(2): एक संस्था का सदस्य दूसरी संस्था की सदस्यता का चुनाव लड़ सकता है। मार्गदर्शिका भी यही कहती है: एक साथ सदस्य रहने पर रोक है, चुनाव लड़ने पर नहीं। [**धारा 20(2)** · पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 63; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- पर वह दूसरी संस्था में चुन लिया गया, तो जिस दिन चुना गया, उसी दिन उसकी पहली सीट खाली हो जाएगी; बस तब नहीं, जब पहली संस्था का कार्यकाल उस तारीख से चार महीने के अंदर पूरा हो रहा हो। [**धारा 20(2) का परन्तुक** · पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 63]
- धारा 20(3): कोई एक साथ दो या ज़्यादा संस्थाओं में चुना गया, तो चुने जाने की तारीख से (तारीखें अलग हों, तो बाद वाली से) 14 दिन के अंदर सक्षम प्राधिकारी को बताए कि वह किस संस्था में रहेगा; दूसरी सीट खाली हो जाएगी। [**धारा 20(3)** · पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 63]
- धारा 20(4) और (5): यह सूचना अंतिम है, बाद में बदली नहीं जा सकती। 14 दिन में सूचना न दी, तो सक्षम प्राधिकारी तय करेगा कि कौन-सी सीट रहेगी; बाकी सीट खाली होगी। [**धारा 20(4), (5)** · पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 63]

सक्षम प्राधिकारी कौन है, और आपके मामले में धारा 20 कैसे लागू होगी, यह इन किताबों से तय करके नहीं बताया जा सकता; ऐसा मामला हो, तो रिटर्निंग अधिकारी से पूछिए।

एक सीट के कई नामांकन पत्र, या अलग-अलग सीटें? (1/2: संवीक्षा तक)

आधार: धारा 19-ख "किसी पंचायतीराज संस्था में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध", राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994; नियम 27 और 58(5), राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

बात	एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए कई नामांकन पत्र	एक ही संस्था में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से	स्रोत
क्या ऐसा कर सकते हैं?	हाँ। नियम 58(5) की शर्त में एक से ज़्यादा नामांकन पत्रों की बात है। ईवीएम मार्गदर्शिका में ज़्यादा से ज़्यादा चार पत्र लिखे हैं।	नहीं। धारा 19-ख के तहत पंचायत समिति में, या ज़िला परिषद में, एक से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों से नहीं लड़ सकते। पंचायत समिति और ज़िला परिषद, दोनों से एक साथ लड़ने पर यह रोक नहीं: धारा 20 वाली स्लाइड देखिए।	पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 119; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 72; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 146; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 64
जमानत	कितने भी नामांकन पत्र भरें, जमानत एक ही बार जमा होगी।	हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग जमानत लगेगी या नहीं, यह इन स्रोतों में साफ़ नहीं लिखा; रिटर्निंग अधिकारी से पूछ लीजिए। नाम वापस लेने वालों की जमानत लौटती है।	पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 119; परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ), संकलन पृ. 402
संवीक्षा	किसी पत्र में कमी हो, तो वह पत्र खारिज हो सकता है; पर एक भी पत्र स्वीकार हुआ, तो आप उम्मीदवार बने रहेंगे।	सिर्फ़ कई निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन भरने की वजह से नामांकन खारिज नहीं होगा।	ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 72; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 64
उम्मीदवारों की सूची	एक से ज़्यादा पत्र स्वीकार हुए, तब भी नाम एक ही बार लिखा जाएगा।	नाम वापसी के समय तक बाकी क्षेत्रों से नाम वापस नहीं लिया, तो किसी भी क्षेत्र से उम्मीदवार नहीं माने जाएँगे।	ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 72; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 64; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 73

चार पत्र, संवीक्षा और सूची वाली बातें ईवीएम मार्गदर्शिका में सरपंच और पंच के लिए लिखी हैं। नियम 58(5) संवीक्षा और नाम वापसी के नियम 27 और 28 को 'जहाँ तक हो सके' इन दो पदों पर भी लागू करता है। शक हो, तो रिटर्निंग अधिकारी से पूछिए। [**नियम 58(5)** · ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 169]

एक सीट के कई नामांकन पत्र, या अलग-अलग सीटें? (2/2: नाम वापसी)

आधार: धारा 19-ख(2), राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994; नियम 28, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

बात	एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए कई नामांकन पत्र	एक ही संस्था में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से	स्रोत
नाम वापस लेना हो	एक ही नोटिस से आप चुनाव से हट जाते हैं और आपके सारे पत्र वापस माने जाते हैं; दो में से सिर्फ़ एक पत्र वापस लेने का नोटिस नहीं दिया जा सकता।	जो निर्वाचन क्षेत्र रखना है, उसे छोड़कर बाकी सभी से लिखित सूचना देकर नाम वापस लीजिए; यह सूचना नाम वापसी के तय समय और तारीख से पहले देनी है।	ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 72; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 146
समय निकल गया	समय निकलने के बाद दिया नोटिस नहीं लिया जाएगा, यानी आप उम्मीदवार बने रहेंगे।	माना जाएगा कि आपने सभी क्षेत्रों से नाम वापस ले लिया; आप किसी भी क्षेत्र से नहीं लड़ पाएँगे।	ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 152; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 147; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 73
गलती हो जाए	नोटिस एक बार दे दिया, तो उसे रद्द नहीं करवा सकते; इसलिए सोच-समझकर दीजिए।	उम्मीदवारी जाने के बाद उसे लौटाने का कोई रास्ता इन स्रोतों में हमें नहीं मिला; इसलिए समय रहते एक क्षेत्र चुन लीजिए।	ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 152; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 147
बालोतरा में समय	दोपहर 3 बजे तक: ज़िला परिषद और पंचायत समिति के तीसरे चरण में 26.10.2026, और पंचायत समिति के चौथे चरण में 06.11.2026।	वही समय और वही तारीख।	आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8; आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2–3

संवीक्षा या नाम वापसी पर रिटर्निंग अधिकारी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील का रास्ता ईवीएम मार्गदर्शिका में हमें नहीं मिला। आयोग के संकलन के मुताबिक़ चुनाव से पहले की अयोग्यता के मामले धारा 43 और नियम 80 के तहत चुनाव याचिका से ज़िला अदालत में तय होते हैं; याचिका की मियाद नतीजे की घोषणा से 30 दिन है। [**धारा 43, नियम 80** · आदेश 793, दि. 20.01.2026, संकलन पृ. 432; आदेश 4805, दि. 25.06.2015, संकलन पृ. 444]

नामांकन के साथ कौन-से काग़ज़ लगेंगे

आधार: आयोग का आदेश 10062, दि. 06.10.2026 (नामांकन के काग़ज़)

काग़ज़	पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य
नामांकन पत्र	प्ररूप 4-क
प्ररूप 4घ	आवश्यक, पूरा भरा हुआ; बिन्दु 3 (संतान संबंधी योग्यता) की सूचना देना आवश्यक नहीं
शपथ पत्र	उपाबन्ध-I A, 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, सम्यक रूप से प्रमाणित
शौचालय की घोषणा	आवश्यक; प्रमाणित करवाने की ज़रूरत नहीं
नो-ड्यूज	धारा 19 (झ) और 19 (ड) में कोई बकाया नहीं, तो किसी भी तरह का नो-ड्यूज देने की ज़रूरत नहीं

स्रोत: आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1–3

- हाथ से लिखा नामांकन पत्र, और हाथ से लिखे साथ वाले प्ररूप, स्वीकार्य नहीं होंगे। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 3]

और कौन-से काग़ज़, और जमानत कितनी

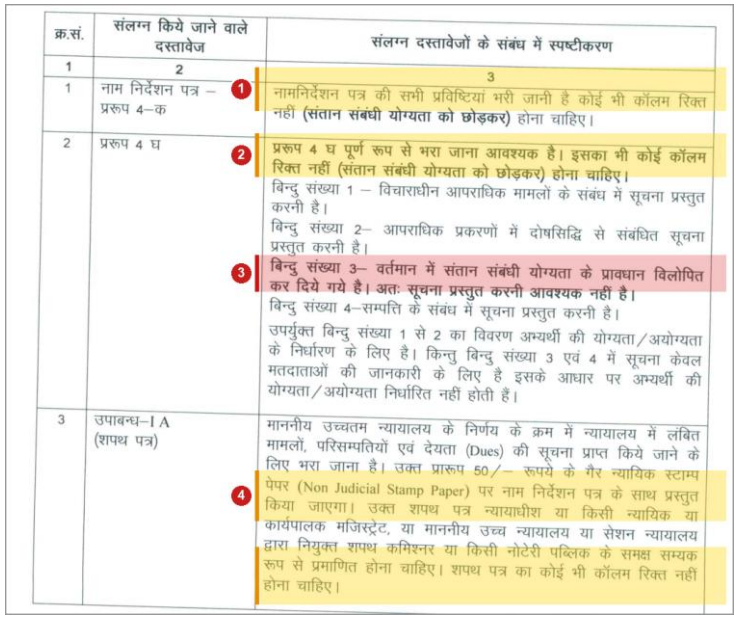
आधार: आयोग का आदेश 10062, दि. 06.10.2026 (नामांकन के काग़ज़)

काग़ज़	पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य
चरित्र प्रमाण पत्र	लगाना आवश्यक नहीं
जाति प्रमाण पत्र	आरक्षित सीट से लड़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को; और सामान्य सीट से जमानत राशि में रियायत चाहिए, तब भी
जमानत राशि	नियम 58: सामान्य ₹500; महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ₹250; रसीद लगानी आवश्यक
सांख्यिकी सूचना का फ़ॉर्म	भरवाया जाएगा; न देने पर नामांकन पत्र खारिज नहीं होगा

स्रोत: आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1–3

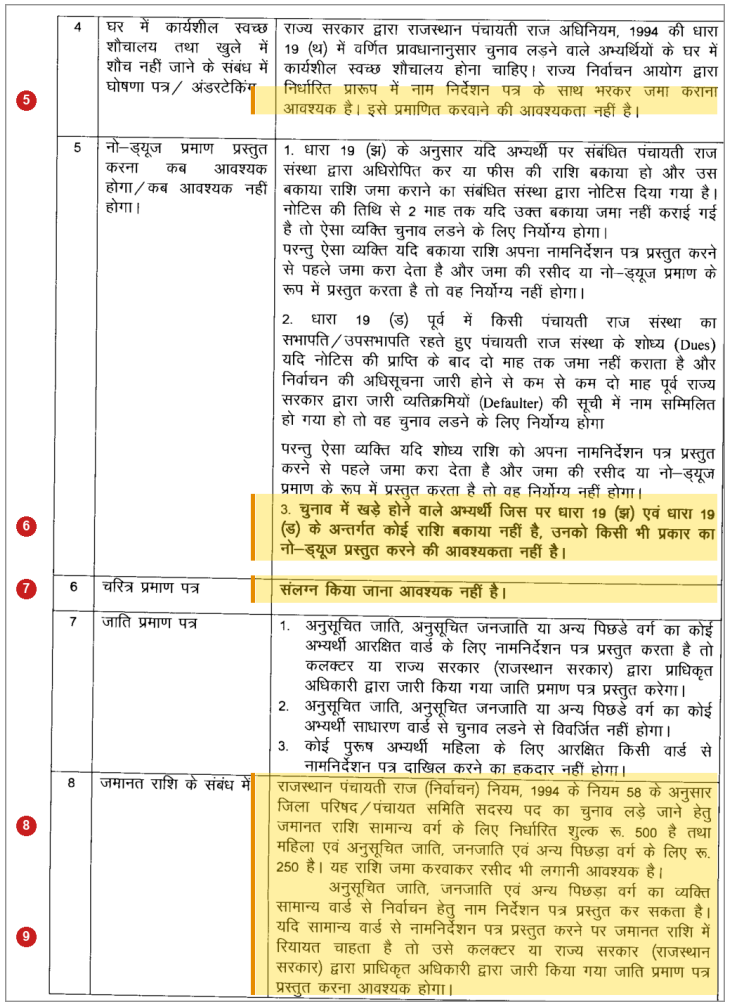
नियम का नंबर ध्यान से: इन दो पदों की जमानत नियम 58 "पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन" के तहत है। नियम 56 "सरपंच और पंचों का साथ-साथ निर्वाचन" का उपनियम (3) सरपंच की जमानत का है। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2; आदेश 10055, दि. 06.10.2026, पृ. 2]

आयोग के आदेश का मूल पाठ: काग़ज़ों की सूची



क्र.सं.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों के संबंध में स्पष्टीकरण
1	2	3
1	नाम निर्देशन पत्र – प्ररूप 4–क	नामनिर्देशन पत्र की सभी प्रविष्टियां भरी जानी है कोई भी कॉलम रिक्त नहीं **(संतान संबंधी योग्यता को छोड़कर)** होना चाहिए।
2	प्ररूप 4 घ	**प्ररूप 4 घ पूर्ण रूप से भरा जाना आवश्यक है। इसका भी कोई कॉलम रिक्त नहीं (संतान संबंधी योग्यता को छोड़कर) होना चाहिए।** बिन्दु संख्या 1 – विचाराधीन आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। बिन्दु संख्या 2– आपराधिक प्रकरणों में दोषसिद्धि से संबंधित सूचना प्रस्तुत करनी है। **बिन्दु संख्या 3– वर्तमान में संतान संबंधी योग्यता के प्रावधान विलोपित कर दिये गये है। अतः सूचना प्रस्तुत करनी आवश्यक नहीं है।** बिन्दु संख्या 4–सम्पत्ति के संबंध में सूचना प्रस्तुत करनी है। उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 से 2 का विवरण अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता के निर्धारण के लिए है। किन्तु बिन्दु संख्या 3 एवं 4 में सूचना केवल मतदाताओं की जानकारी के लिए है इसके आधार पर अभ्यर्थी की योग्यता/अयोग्यता निर्धारित नहीं होती हैं।
3	उपाबन्ध–I A (शपथ पत्र)	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में न्यायालय में लंबित मामलों, परिसम्पतियों एवं देयता (Dues) की सूचना प्राप्त किये जाने के लिए भरा जाना है। उक्त प्रारूप 50/– रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष सम्यक रूप से प्रमाणित होना चाहिए। शपथ पत्र का कोई भी कॉलम रिक्त नहीं होना चाहिए।

मूल: आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1

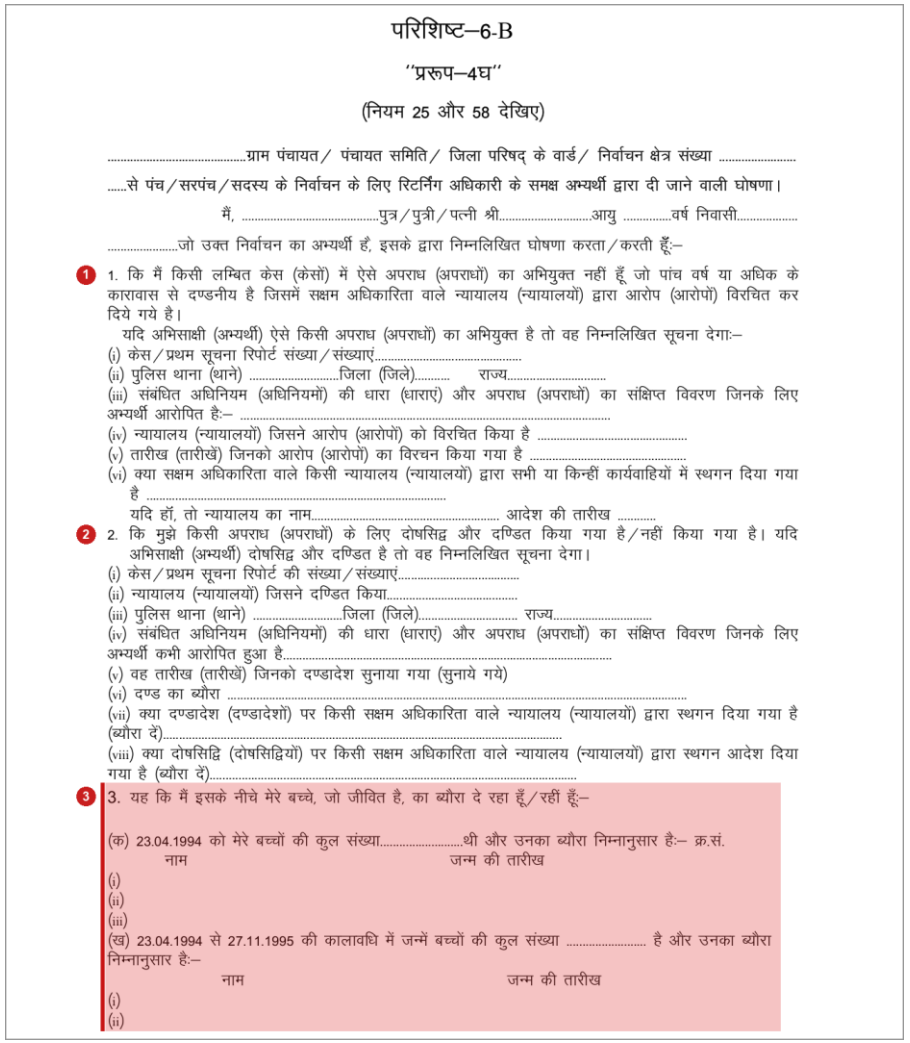


4	घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र/ अंडरटेकिंग	राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 19 (थ) में वर्णित प्रावधानानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में नाम निर्देशन पत्र के साथ भरकर जमा कराना आवश्यक है। इसे प्रमाणित करवाने की आवश्यकता नहीं है।
5	नो–ड्यूज प्रमाण प्रस्तुत करना कब आवश्यक होगा/कब आवश्यक नहीं होगा।	1. धारा 19 (झ) के अनुसार यदि अभ्यर्थी पर संबंधित पंचायती राज संस्था द्वारा अधिरोपित कर या फीस की राशि बकाया हो और उस बकाया राशि जमा कराने का संबंधित संस्था द्वारा नोटिस दिया गया है। नोटिस की तिथि से 2 माह तक यदि उक्त बकाया जमा नहीं कराई गई है तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लडने के लिए निर्योग्य होगा। परन्तु ऐसा व्यक्ति यदि बकाया राशि अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पहले जमा करा देता है और जमा की रसीद या नो–ड्यूज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है तो वह निर्योग्य नहीं होगा। 2. धारा 19 (ड) पूर्व में किसी पंचायती राज संस्था का सभापति/उपसभापति रहते हुए पंचायती राज संस्था के शोध्य (Dues) यदि नोटिस की प्राप्ति के बाद दो माह तक जमा नहीं कराता है और निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने से कम से कम दो माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा जारी व्यतिक्रमियों (Defaulter) की सूची में नाम सम्मिलित हो गया हो तो वह चुनाव लडने के लिए निर्योग्य होगा परन्तु ऐसा व्यक्ति यदि शोध्य राशि को अपना नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से पहले जमा करा देता है और जमा की रसीद या नो–ड्यूज प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है तो वह निर्योग्य नहीं होगा। **3. चुनाव में खड़े होने वाले अभ्यर्थी जिस पर धारा 19 (झ) एवं धारा 19 (ड) के अन्तर्गत कोई राशि बकाया नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का नो–ड्यूज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।**
6	चरित्र प्रमाण पत्र	**संलग्न किया जाना आवश्यक नहीं है।**
7	जाति प्रमाण पत्र	1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग का कोई अभ्यर्थी आरक्षित वार्ड के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो कलक्टर या राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। 2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछडे वर्ग का कोई अभ्यर्थी साधारण वार्ड से चुनाव लडने से विवर्जित नहीं होगा। 3. कोई पुरूष अभ्यर्थी महिला के लिए आरक्षित किसी वार्ड से नामनिर्देशन पत्र दाखिल करने का हकदार नहीं होगा।
8	जमानत राशि के संबंध में	राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 58 के अनुसार जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य पद का चुनाव लड़े जाने हेतु जमानत राशि सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित शुल्क रू. 500 है तथा महिला एवं अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रू. 250 है। यह राशि जमा करवाकर रसीद भी लगानी आवश्यक है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति सामान्य वार्ड से निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। यदि सामान्य वार्ड से नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत राशि में रियायत चाहता है तो उसे कलक्टर या राज्य सरकार (राजस्थान सरकार) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

मूल: आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2

1. प्ररूप 4-क (नामांकन पत्र): सारी प्रविष्टियाँ भरी हों, कोई कॉलम खाली नहीं (संतान संबंधी योग्यता को छोड़कर)। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
2. प्ररूप 4घ: पूरा भरा हुआ, कोई कॉलम खाली नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
3. लाल, 4घ का बिन्दु 3 (संतान): प्रावधान हटा दिए गए; सूचना देना आवश्यक नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
4. उपाबन्ध-I A शपथ पत्र: ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, नामांकन पत्र के साथ; न्यायाधीश, न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, शपथ आयुक्त या नोटरी के सामने प्रमाणित; कोई कॉलम खाली नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
5. शौचालय की घोषणा तय प्ररूप में, नामांकन पत्र के साथ; इसे प्रमाणित करवाने की ज़रूरत नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2]
6. नो-ड्यूज, बिन्दु 3: धारा 19 (झ) और 19 (ड) में कोई बकाया नहीं, तो नो-ड्यूज की ज़रूरत नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2]
7. चरित्र प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2]
8. जमानत, नियम 58: सामान्य ₹500; महिला, SC, ST, OBC ₹250; रसीद साथ लगानी है। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2]
9. SC, ST, OBC उम्मीदवार सामान्य वार्ड से भी लड़ सकता है; वहाँ जमानत में रियायत चाहिए, तो कलेक्टर या राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2]

प्ररूप 4घ: संतान वाला बिन्दु 3 अब नहीं भरना



परिशिष्ट–6-B

"प्ररूप–4घ"

(नियम 25 और 58 देखिए)

.....ग्राम पंचायत/ पंचायत समिति/ जिला परिषद् के वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या

.....से पंच/सरपंच/सदस्य के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा दी जाने वाली घोषणा।

मैं,पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....आयुवर्ष निवासी.....

.....जो उक्त निर्वाचन का अभ्यर्थी हूँ, इसके द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:–

1. कि मैं किसी लम्बित केस (केसों) में ऐसे अपराध (अपराधों) का अभियुक्त नहीं हूँ जो पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय है जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा आरोप (आरोपों) विरचित कर दिये गये है।

यदि अभिसाक्षी (अभ्यर्थी) ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा:–

(i) केस/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....

(ii) पुलिस थाना (थाने)जिला (जिले)..... राज्य.....

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी आरोपित है:–

(iv) न्यायालय (न्यायालयों) जिसने आरोप (आरोपों) को विरचित किया है

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप (आरोपों) का विरचन किया गया है

(vi) क्या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा सभी या किन्हीं कार्यवाहियों में स्थगन दिया गया है

यदि हाँ, तो न्यायालय का नाम..... आदेश की तारीख

2. कि मुझे किसी अपराध (अपराधों) के लिए दोषसिद्ध और दण्डित किया गया है/नहीं किया गया है। यदि अभिसाक्षी (अभ्यर्थी) दोषसिद्ध और दण्डित है तो वह निम्नलिखित सूचना देगा।

(i) केस/प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या/संख्याएं.....

(ii) न्यायालय (न्यायालयों) जिसने दण्डित किया.....

(iii) पुलिस थाना (थाने)जिला (जिले)..... राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिनके लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित हुआ है.....

(v) वह तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया (सुनाये गये)

(vi) दण्ड का ब्यौरा

(vii) क्या दण्डादेश (दण्डादेशों) पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा स्थगन दिया गया है (ब्यौरा दें).....

(viii) क्या दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय (न्यायालयों) द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है (ब्यौरा दें).....

3. यह कि मैं इसके नीचे मेरे बच्चे, जो जीवित है, का ब्यौरा दे रहा हूँ/रही हूँ:–

(क) 23.04.1994 को मेरे बच्चों की कुल संख्या.....थी और उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:– क्र.सं. नाम जन्म की तारीख

(i)

(ii)

(iii)

(ख) 23.04.1994 से 27.11.1995 की कालावधि में जन्में बच्चों की कुल संख्या है और उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

नाम जन्म की तारीख

(i)

(ii)

मूल: मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 81 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

- प्ररूप 4घ सभी पदों के लिए एक ही है: ऊपर नियम 25 और 58, और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद तीनों लिखे हैं। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 81]

1. बिन्दु 1: विचाराधीन आपराधिक मामले। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 81]
2. बिन्दु 2: आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 81]
3. लाल, बिन्दु 3 (संतान): सूचना देना आवश्यक नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1]

- बाकी पूरा भरा हुआ, कोई कॉलम खाली नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1]

शपथ पत्र उपाबन्ध-I A: खाली और भरा हुआ नमूना

उपाबंध I-A

(शपथ पत्र)

❶ जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र।

1. नाम जिला परिषद/पंचायत समिति*
2. जिला परिषद/पंचायत समिति* सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष, जो(डाक का पूरा पता लिखें) का की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:–

(1) (क) मैं (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ।

❷ या

(ख) मैं एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप मे चुनाव लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम ग्राम पंचायत के वार्ड संख्याकी मतदाता सूची के क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष

❸ (क) निवास

(ख) मोबाइल नं.

❹ (4) आय–कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्र.सं.	नाम	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।
1.	स्वयं	
2.	पति या पत्नी	
3.	आश्रित–1	
4.	आश्रित–2	
5.	आश्रित–3	

मूल: आदेश 5936, दि. 12.12.2019, संकलन पृ. 260

उपाबंध I-A

(शपथ पत्र)

❶ जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ–पत्र।

1. नाम जिला परिषद/पंचायत समिति* पावटा
2. जिला परिषद/पंचायत समिति* सदस्य निर्वाचन क्षेत्र संख्या ...28.....

मैं, ...संरेन्द्र सिंह राठौड़..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री जगमाल सिंह राठौड..... आयु50..... वर्ष, जो ग्राम कारौली पंचायत समिति पावटा ..(डाक का पूरा पता लिखें) का की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:–

(1) (क) मैं राजनैतिक दल का नाम लिखे जो आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ।

❷ या

(ख) मैं एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप मे चुनाव लड़ रहा हूँ।

(2) मेरा नाम ग्राम पंचायत ... कारौली के वार्ड संख्या28.....की मतदाता सूची के क्रम सं.122.. पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष

❸ संपर्क नंबर हटाया गया

संपर्क नंबर हटाया गया

❹ (4) आय–कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्र.सं.	नाम	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।
1.	स्वयं	2025–26
2.	पति या पत्नी	2025–26
3.	आश्रित–1	लागू नहीं
4.	आश्रित–2	लागू नहीं
5.	आश्रित–3	लागू नहीं

भरा हुआ नमूना, साभार: मनीष कुमार गोयल, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMT), जयपुर · नाम, जगह और तारीखें काल्पनिक

1. शीर्षक: ज़िला परिषद या पंचायत समिति सदस्य के नामांकन पत्र के साथ दिया जाने वाला शपथ पत्र। [आदेश 5936, दि. 12.12.2019, संकलन पृ. 260]
2. (क) दल का उम्मीदवार, या (ख) निर्दलीय। [आदेश 5936, दि. 12.12.2019, संकलन पृ. 260]
3. फ़ोन नंबर: (क) निवास, (ख) मोबाइल। [आदेश 5936, दि. 12.12.2019, संकलन पृ. 260]
4. आयकर रिटर्न का ब्योरा (तालिका)। [आदेश 5936, दि. 12.12.2019, संकलन पृ. 260]

- ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, प्रमाणित; कोई कॉलम खाली नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1]

नामांकन पत्र कैसे देना है

आधार: नियम 25 “नाम निर्देशन-पत्रों का पेश किया जाना”, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

- नियम 58(5) कहता है कि जहाँ मशीन से वोट पड़ें, वहाँ नियम 24क से 31, 35, 45, 46, 48 वगैरह, ज़रूरी बदलाव के साथ और जहाँ तक हो सके, ज़िला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव पर भी लागू होंगे। नामांकन का नियम 25, संवीक्षा का 27 और नाम वापसी का 28 इन्हीं में हैं। [**नियम 58(5)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 74]
- नियम 25 कहता है: नामांकन पत्र पूरा भरा हो, उस पर आपके हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी हो, साथ में प्ररूप 4घ हो, और आप उसे रिटर्निंग अधिकारी को खुद जाकर दें। [**नियम 25(1)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- आरक्षित सीट से लड़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को कलेक्टर या राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी का जारी किया प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। [**नियम 25(1)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- इन वर्गों के उम्मीदवार सामान्य सीट से भी लड़ सकते हैं; पर कोई पुरुष महिलाओं के लिए आरक्षित सीट से नामांकन नहीं भर सकता। [**नियम 25(1)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- इस तरीके से न दिया गया नामांकन पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। [**नियम 25(2)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]

नियम 25 'पंच' और 'वार्ड' के शब्दों में लिखा है; नियम 58(5) इसे ज़रूरी बदलाव के साथ इन दो पदों पर लागू करता है। कोई शक हो, तो रिटर्निंग अधिकारी से पूछ लीजिए। [**नियम 58(5)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 74]

मशीन वाले चुनाव पर लागू नियमों का मूल पाठ

आधार: नियम 58 "पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन", राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

(2) जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रत्येक पंचायत समिति के लिए, उसके सदस्यों के
1 लिए एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा और उसकी सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगा।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग जिला परिषद के सदस्यों से निर्वाचन के लिए रिटर्निंग
2 अधिकारी और उसकी सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त करेगा।

(4) रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों का, इन नियमों के अधीन पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों का निर्वाचन प्रभावी रूप से करवाने के लिए नियम 24 में उल्लेखित कृत्यों को पालन करने का, साधारण कर्त्तव्य होगा।

"(5) पंचायत समितियों/जिला परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन के लिये, जहां तक हो सके, यदि जहां मतपेटियां प्रयुक्त की जाये, वहां नियम 24क से 54 तक के उपबंध,
3 यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे, और यदि जहां मतदान मशीनें प्रयुक्त की जायें वहां नियम 24क से 31, 35, 45, 46, 48, 48क, 48ख, 48ग, 49क, 49ख, 51 और 54 तथा अध्याय 4क के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे:

मूल: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 169 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. नियम 58(2): हर पंचायत समिति के सदस्यों के लिए रिटर्निंग अधिकारी ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) नियुक्त करेंगे; सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकेंगे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 169]
2. नियम 58(3): ज़िला परिषद सदस्यों के लिए रिटर्निंग अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त करेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 169]
3. नियम 58(5), पीला: जहाँ मतदान मशीनें लगें, वहाँ नियम 24क से 31, 35, 45, 46, 48, 48क, 48ख, 48ग, 49क, 49ख, 51 और 54, और अध्याय 4क, ज़रूरी बदलाव के साथ, लागू। संवीक्षा (नियम 27) और नाम वापसी (नियम 28) इन्हीं में आते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 169; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 74]

नामांकन पत्रों की जाँच (संवीक्षा) कैसे होगी

आधार: नियम 27 "नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा", राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

- संवीक्षा यानी नामांकन पत्रों की जाँच। तय दिन और समय पर रिटर्निंग अधिकारी सब नामांकन पत्र जाँचेंगे। [**नियम 27(1)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- जाँच के समय उम्मीदवार खुद वहाँ मौजूद रह सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। [**नियम 27(2)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- रिटर्निंग अधिकारी आपको सब नामांकन पत्र देखने की पूरी सुविधा देंगे, और किसी भी नामांकन पत्र पर आपत्ति करने का पूरा मौका देंगे। [**नियम 27(2)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- आपत्तियों पर रिटर्निंग अधिकारी फ़ैसला करेंगे। वे किसी की आपत्ति पर, या अपनी ओर से भी, नामांकन पत्र खारिज कर सकते हैं। [**नियम 27(3)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- फ़ैसला हर नामांकन पत्र पर लिखा जाएगा; खारिज हुआ, तो उसके कारण भी छोटे में लिखे जाएँगे। [**नियम 27(4)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62–63]
- संवीक्षा उसी दिन पूरी होगी; कार्यवाही आगे के लिए टाली नहीं जा सकती। इसलिए उस दिन समय पर पहुँचिए। [**नियम 27(5)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62–63]

किन कारणों से नामांकन पत्र खारिज हो सकता है?

आधार: नियम 27 "नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा", राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

- नियम 27 में खारिज करने के चार कारण लिखे हैं। इनमें से कोई भी पाया गया, तो रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र खारिज कर सकते हैं। [**नियम 27(3)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- पहला: उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है, या अयोग्य हो गया है। [**नियम 27(3)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- दूसरा: उम्मीदवार वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम या मतदाता सूची की क्रम संख्या नामांकन पत्र में लिखी है। इसलिए नाम और क्रम संख्या मतदाता सूची से मिलाकर लिखिए। [**नियम 27(3)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- तीसरा: उम्मीदवार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी असली नहीं है, या धोखे, दबाव या अनुचित प्रभाव से ली गई है। [**नियम 27(3)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62]
- चौथा: नामांकन पत्र देने के नियम 25 का पालन नहीं हुआ, जैसे उम्मीदवार ने नामांकन पत्र खुद जाकर नहीं दिया। [**नियम 25** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 62; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7]
- आदेश 10062: कोई कॉलम खाली रहा, तो मीमो मिलेगा; उसके बाद भी नहीं भरा, या अलग से नया शपथ पत्र नहीं दिया, तो नामांकन पत्र अस्वीकार करने योग्य होगा। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 3]

नाम वापस कैसे लें

आधार: नियम 28 "अभ्यर्थिता वापस लेना", राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

- नाम वापसी का नोटिस लिखकर, उम्मीदवार के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी के साथ, उम्मीदवार को खुद जाकर रिटर्निंग अधिकारी को देना है। [**नियम 28(1)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 63; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7]
- नोटिस दो प्रतियों में, तय तारीख और समय तक देना है। समय निकलने के बाद दिया नोटिस नहीं लिया जाएगा। [**नियम 28(1), 28(2)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 63]
- एक बार दिया नोटिस वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए सोच-समझकर ही दीजिए। [**नियम 28(3)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 63]
- नियमों में नाम वापसी का कोई फ़ॉर्म तय नहीं है। मार्गदर्शिका में जो मॉडल फ़ॉर्म (परिशिष्ट-21) छपा है, वह सरपंच और पंच पद के लिए है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 72; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 212]
- नियम 58(5) से नियम 28 मशीन वाले चुनाव पर भी लागू है, और नियम 28 कोई फ़ॉर्म नहीं माँगता। इसलिए ऊपर की शर्तें पूरी करने वाला लिखित नोटिस काफ़ी है। [**नियम 58(5), 28** · ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 169; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 152]
- बालोतरा में नाम वापसी दोपहर 3 बजे तक है: ज़िला परिषद और पंचायत समिति के तीसरे चरण में 26.10.2026, और पंचायत समिति के चौथे चरण में 06.11.2026। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8; आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2–3]

नाम वापसी के नियम का मूल पाठ

आधार: नियम 28 "अभ्यर्थिता वापस लेना", राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

1. 28. अभ्यर्थिता वापस लेना :– (1) कोई भी अभ्यर्थी, अपने द्वारा हस्ताक्षरित या अपने अंगूठे की छाप लगे हुए और व्यक्तिशः परिदत्त लिखित, नोटिस, रिटर्निंग अधिकारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत करके नियम 33 के उप–नियम (1) के खण्ड (ii) के उप–खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख को और समय तक अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा।
2. (2) वापसी का कोई नोटिस उप–नियम (1) में निर्दिष्ट दिन और सम के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा।
3. (3) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, वापसी का नोटिस रद्द करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
4. (4) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, वापसी का नोटिस प्राप्त होने पर, यथाशक्य शीघ्र, उसकी एक प्रति पंचायत कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर या जहां कोई पंचायत कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है वहां पंचायत मुख्यालय के किसी भी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करायेगा।

मूल: ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 152 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. 28(1): उम्मीदवार अपने हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप वाला लिखित नोटिस, खुद जाकर, दो प्रतियों में, तय तारीख और समय तक रिटर्निंग अधिकारी को देकर नाम वापस ले सकता है। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 152]
2. 28(2): तय दिन और समय के बाद नोटिस नहीं लिया जाएगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 152]
3. 28(3): नाम वापस लेने के बाद नोटिस रद्द नहीं करवा सकते। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 152]
4. 28(4): नोटिस की एक प्रति पंचायत कार्यालय में किसी ऐसी जगह लगेगी, जहाँ सबको दिखे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 152]

- नियम 28 में कोई फ़ॉर्म नहीं माँगा गया। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 152]

जमानत कब लौटेगी, कब जब्त होगी

आधार: आयोग के परिपत्र 2178 (20.06.2019) और 2283 (09.07.2019), पत्र 594 (19.01.2026), और आदेश 753

- पंचायती राज चुनावों में जमानत लौटाने और जब्त करने का तरीका आयोग के परिपत्र 2178 (20.06.2019) और परिपत्र 2283 (09.07.2019) में है। आयोग के पत्र 594 (19.01.2026) में लिखा है कि इन दोनों परिपत्रों के निर्देश इस बार भी लागू रहेंगे। [पत्र 594, दि. 19.01.2026, संकलन पृ. 400]
- नाम वापस लेने वालों की, और उन हारे हुए उम्मीदवारों की जमानत लौटेगी जिन्हें कुल वैध वोटों का 1/6 या इससे ज़्यादा मिला। इसके लिए नतीजा घोषित होने के बाद प्रपत्र-1 में आवेदन करना होगा। [परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ), संकलन पृ. 402]
- जीतने वाले उम्मीदवार की जमानत जब्त नहीं होगी, उसे वोट कितने भी मिले हों। जब्त उसी की होगी जो चुना नहीं गया और 1/6 से कम वोट लाया। [आदेश 753, दि. 20.01.2026, संकलन पृ. 447]
- जिन्हें कुल वैध वोटों के 1/6 से कम मिले, उनकी जमानत जब्त करने का आदेश नतीजा घोषित होने के 3 दिन के अंदर प्रपत्र-2A में होगा। [परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ), संकलन पृ. 402]
- जिनकी जमानत लौटनी है, वे 15 दिन के अंदर प्रपत्र-1 में आवेदन करके ले सकते हैं। जो रकम इस समय में नहीं ली गई, वह अगले 7 दिन में सरकारी खज़ाने में जमा कर दी जाएगी। [परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ), संकलन पृ. 402]

1/6 कुल वैध वोटों पर गिना जाएगा, और जिसे ठीक 1/6 वोट मिले, उसकी जमानत लौटेगी। [पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 119]

जमानत की शर्तें, क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी) में

आधार: नियम 58 "पंचायत समिति/जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन", उपनियम (5) की शर्तें, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

[1][(5) In the case where ballot boxes are used, the provisions of rule 24-A to 54 shall *mutatis mutandis* apply, and in the case where voting machines are used the provisions of rule 24-A to 31, 35, 45, 46, 48, 48A, 48B, 48C, 49A, 49B, 51 and 54 and Chapter IVA shall *mutatis mutandis* apply, so far as may be, to such elections of members of Panchayati Samities/Zila Parishads:]

[2][Provided that -

1 (a) a candidate shall not be deemed to be duly nominated for election from a constituency, unless he deposits a sum of Rupees 500/- or where the candidate is a women or a member of SC/ST/OBC, a sum of Rs.250/-.

2 (b) the security deposit shall stand forfeited [3][in the case of such candidates who is not elected and fails] to secure atleast one sixth of the total valid votes polled in the Constituency election.

3 (c) where a candidate has been nominated by more than one nomination paper for election, not more than one deposit shall be required of him in this sub rule.

मूल: पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 119 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. शर्त (a): जमानत ₹500; महिला, SC, ST, OBC के लिए ₹250। [पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 119]
2. शर्त (b): जो चुना नहीं गया और कुल वैध वोटों का कम से कम छठा हिस्सा (one sixth) नहीं ला पाया, उसकी जमानत जब्त। ठीक 1/6 मिला, तो जब्त नहीं। [पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 119]
3. शर्त (c): एक से ज़्यादा जमानत की ज़रूरत नहीं। [पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी), पृ. 119]

दल के उम्मीदवार को दल का चिह्न कब मिलेगा

आधार: खण्ड 6, राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2025

- किसी दल का आरक्षित चिह्न सिर्फ़ उसी दल के उम्मीदवार को मिलता है। आप दल के उम्मीदवार तभी माने जाएँगे, जब ये चारों बातें पूरी हों। [**खण्ड 6** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180]
- पहली: आपने अपने नामांकन पत्र में यह घोषणा की हो कि आप उस दल के उम्मीदवार हैं। [**खण्ड 6** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180]
- दूसरी: दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष या मुखिया ने, या उनके अधिकृत व्यक्ति ने, प्ररूप 'ख' में यह लिखित सूचना नामांकन की आखिरी तारीख को दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को दे दी हो। [**खण्ड 6** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180]
- तीसरी: अध्यक्ष ने किसी और को अधिकृत किया है और उसी ने पत्र भेजा है, तो उस व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'क' में उसी समय तक रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुँच गए हों। [**खण्ड 6** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180]
- चौथी: प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पर हस्ताक्षर केवल स्याही से किए गए हों। [**खण्ड 6** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180]

इनमें से कोई बात पूरी न हुई, तो आप दल के उम्मीदवार नहीं माने जाएँगे, और आपको मुक्त चिह्नों में से ही चिह्न मिलेगा। [आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180, 182]

दल का फ़ॉर्म किसके हस्ताक्षर से, कब तक

आधार: खण्ड 6, राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2025

- यहाँ 'अध्यक्ष' का मतलब दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष है; जहाँ अध्यक्ष का पद नहीं है, वहाँ सचिव। [**खण्ड 6** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- प्ररूप 'क' या 'ख' पर अनुलिपि (फ़ैक्सिमिली) हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प वाले हस्ताक्षर नहीं माने जाएँगे। [**खण्ड 6** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- फ़ैक्स, ई-मेल या व्हाट्सऐप से भेजा कोई प्ररूप स्वीकार नहीं होगा। [**खण्ड 6** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- बालोतरा में यह आख़िरी समय है: ज़िला परिषद और पंचायत समिति तीसरा चरण 23.10.2026, और पंचायत समिति चौथा चरण 04.11.2026, दोपहर 3 बजे तक। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8; आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2–3]
- ये प्ररूप दल भरता है। पर देर हुई, तो नुकसान आपका है: आप दल के उम्मीदवार नहीं माने जाएँगे। इसलिए समय रहते दल से पक्का कर लीजिए। [आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180]

दल का प्रतिस्थानी (सब्स्टिट्यूट) उम्मीदवार

आधार: खण्ड 7, राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2025

- दल प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम भी लिख सकता है। [**खण्ड 7** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- प्रतिस्थानी दल का उम्मीदवार तभी माना जाएगा, जब मुख्य उम्मीदवार का नामांकन संवीक्षा में नियम 27 के तहत रद्द हो जाए, या मुख्य उम्मीदवार नियम 28 के तहत नाम वापस ले ले। [**खण्ड 7** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- साथ में यह भी ज़रूरी है कि प्रतिस्थानी का अपना नामांकन खारिज न हुआ हो, और उसने नाम वापस न लिया हो। यानी प्रतिस्थानी को भी अपना नामांकन पत्र खुद जाकर, समय पर देना होगा। [**खण्ड 7** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7]
- मुख्य उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार हो गया और उसने नाम वापस नहीं लिया, और प्रतिस्थानी भी मैदान में रहा, तो प्रतिस्थानी दल का उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। [**खण्ड 7** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- ऐसे में प्रतिस्थानी को आदेश के खण्ड 12 के हिसाब से मुक्त चिह्न मिलेगा। [**खण्ड 7, 12** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]

दल ने उम्मीदवार बदला, या दो नाम दे दिए

आधार: खण्ड 8 और 9, राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2025

- दल पहले वाले उम्मीदवार का मनोनयन रद्द करके दूसरा उम्मीदवार दे सकता है, पर तभी जब नए प्ररूप 'ख' में साफ़ लिखा हो कि पहले वाले का मनोनयन रद्द किया गया है। [**खण्ड 8** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर वाला यह नया प्ररूप 'ख' भी खण्ड 6 वाले समय के अंदर, यानी नामांकन की आखिरी तारीख को दोपहर 3 बजे तक, रिटर्निंग अधिकारी को मिल जाना चाहिए। [**खण्ड 8** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए अलग-अलग नामों वाले कई प्ररूप 'ख' पहुँचे, और दल यह नहीं बता पाया कि पहले वाले वापस ले लिए गए हैं, तो जिसका नामांकन पत्र सबसे पहले मिला, वही दल का उम्मीदवार माना जाएगा। [**खण्ड 8** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- दल ने एक ही प्ररूप 'ख' में एक ही क्षेत्र के लिए एक से ज़्यादा नाम दे दिए (स्तम्भ 6 वाले प्रतिस्थानी के अलावा), तो उनमें से कोई भी दल का उम्मीदवार नहीं माना जाएगा। [**खण्ड 9** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]
- हाँ, दल ने बाद के प्ररूप 'ख' से पहले वाले सब नाम रद्द करके खण्ड 6 के हिसाब से एक ही उम्मीदवार दिया, तो वही दल का उम्मीदवार माना जाएगा। [**खण्ड 9** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 181]

चुनाव चिह्न कैसे मिलेगा

आधार: खण्ड 4, 5, 10 और 11, राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2025

- किसी दल का आरक्षित चिह्न सिर्फ़ उसी दल के उम्मीदवार को मिलेगा, किसी और को नहीं; और दल के उम्मीदवार को उसी दल का आरक्षित चिह्न मिलेगा, कोई दूसरा नहीं। [**खण्ड 4, 5** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180]
- बाकी उम्मीदवारों के मुक्त चिह्न: पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में आदेश की सारणी-2 वाले, और ज़िला परिषद सदस्य के चुनाव में सारणी-3 वाले। [**खण्ड 4** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 180]
- जिस उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त दल ने खड़ा नहीं किया, उसे मुक्त चिह्नों में से ही चिह्न मिलेगा। वह नामांकन पत्र में इन्हीं में से अपनी पसंद लिख सकता है; कोई दूसरा चिह्न नहीं माँगा जा सकता। [**खण्ड 10** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 182]
- पसंद वही गिनी जाएगी जो आपके पहले नामांकन पत्र में लिखी है, भले ही वह पत्र संवीक्षा में खारिज हो गया हो। इसलिए पहले नामांकन पत्र में ही पसंद सोचकर लिखिए। [**खण्ड 11** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 182]
- दल के उम्मीदवारों के लिए, और जिन्होंने पहले पत्र में खुद को दल का उम्मीदवार बताया पर चिह्न नहीं चुना, आदेश में अलग बात लिखी है; ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी से पूछ लीजिए। [**खण्ड 11** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 182]

एक ही चिह्न कई लोगों ने माँगा, तो क्या होगा

आधार: खण्ड 12 और 13, राजस्थान जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन प्रतीक (सूची और आवंटन) आदेश, 2025

- निर्दलीय उम्मीदवारों में किसी चिह्न को पहली पसंद में एक ही उम्मीदवार ने लिखा, तो वह उसे मिलेगा। [**खण्ड 12** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 182]
- एक से ज़्यादा ने लिखा, तो वहाँ मौजूद उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के सामने लॉट निकाला जाएगा। इसलिए उस समय आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता वहाँ रहें। [**खण्ड 12** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 182]
- इसके बाद दूसरी पसंद, फिर तीसरी पसंद देखी जाएगी। [**खण्ड 12** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 182–183]
- फिर भी किसी को चिह्न नहीं मिला, या उसने पसंद ही नहीं लिखी, तो बचे हुए मुक्त चिह्नों में से सबसे ऊपर वाला दिया जाएगा; ऐसे उम्मीदवारों का क्रम उनके नामों की हिन्दी वर्णमाला से होगा। [**खण्ड 12** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 182–183]
- चिह्न देने का रिटर्निंग अधिकारी का फ़ैसला अंतिम होगा; पर वह आयोग के निर्देशों से मेल न खाए, तो आयोग उसे बदल सकता है। [**खण्ड 13** · आदेश 4196, दि. 17.10.2025, संकलन पृ. 183]

आप कौन-से अभिकर्ता (एजेंट) रख सकते हैं

आधार: नियम 68 "निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति और ऐसी नियुक्ति का प्रतिसंहरण", राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

- ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में आप एक निर्वाचन अभिकर्ता रख सकते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6–7]
- हर मतदान बूथ में एक मतदान अभिकर्ता रख सकते हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6–7]
- मतगणना केन्द्र में गणन अभिकर्ता रख सकते हैं; इनमें एक रिलीवर भी रखा जा सकता है। [**नियम 70** · ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 6–7; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76]
- मतदान अभिकर्ता की जगह लेने वाला कोई रिलीवर अभिकर्ता नियुक्त करने का प्रावधान नहीं है। इसलिए बूथ का अभिकर्ता पूरे दिन रह सकने वाला चुनिए। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7]
- निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति प्ररूप-8 में होगी: नामांकन पत्र देते समय, या चुनाव से पहले किसी भी समय। [**नियम 68(1)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 75]

मतदान और गणन अभिकर्ता की नियुक्ति

आधार: नियम 69 "मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति" और नियम 70 "गणन अभिकर्ता की नियुक्ति", राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994

- आप या आपका निर्वाचन अभिकर्ता हर मतदान बूथ के लिए एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्ति प्ररूप-9 में, दो प्रतियों में, आपके या आपके निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से होगी, और दोनों प्रतियाँ उस अभिकर्ता को दी जाएँगी। [**नियम 69** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76]
- मतदान के दिन मतदान अभिकर्ता ये प्रतियाँ मतदान अधिकारी को देगा, और उनके सामने उसमें लिखी घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। [**नियम 69** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76]
- इससे पहले वह बूथ पर कोई काम नहीं कर सकता। [**नियम 69(2)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76]
- गणन अभिकर्ता: गिनती के लिए जितनी टेबलें लगेंगी, उतने; इनके अलावा एक रिटर्निंग अधिकारी की टेबल के लिए, और एक रिलीवर। नियुक्ति प्ररूप-10 में, दो प्रतियों में होगी। [**नियम 70(2)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76]
- दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता गिनती के दिन रिटर्निंग अधिकारी (या उनके अधिकृत अधिकारी) को देगा, और उनके सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। [**नियम 70** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76]

मतदान के दिन आपका अभिकर्ता बूथ पर

आधार: नियम 69 “मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति”, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994, और ईवीएम मार्गदर्शिका

- मतदान अभिकर्ताओं से कहा जाना चाहिए कि वे मतदान शुरू होने से एक घंटा पहले बूथ पर आ जाएँ। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 19]
- कोई मतदान अभिकर्ता देर से आए, तब भी उसे बूथ की कार्यवाही में शामिल होने दिया जाना चाहिए; पर जो तैयारी पहले हो चुकी, उसे उसके लिए नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत नहीं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 19]
- बूथ में प्रवेश प्ररूप-9 पेश करने पर ही मिलेगा। इसलिए अभिकर्ता दोनों प्रतियाँ साथ लेकर आए। [**नियम 69** · ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 19; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 76]
- ज़िला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में उम्मीदवारों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर रिटर्निंग अधिकारी मतदान अधिकारी को भेजेंगे। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 19; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20]
- मतदान अधिकारी प्ररूप-9 पर पहले से किए हस्ताक्षर देखेंगे, मतदान अभिकर्ता से अपने सामने फिर हस्ताक्षर करवाएँगे, दोनों हस्ताक्षर मिलाएँगे, और उसे काग़ज़ का बैज देंगे। यह बैज लगाकर ही वह ज़रूरत के हिसाब से बूथ में आ-जा सकेगा। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 19; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 20]

मशीन पर आपका नाम कहाँ होगा

आधार: आयोग की ईवीएम मार्गदर्शिका: MPSV मशीन, और आदेश 9836

- बालोतरा में इन दोनों पदों के वोट ईवीएम से पड़ेंगे; यहाँ ECIL की MPSV मशीन लगेगी। [आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 3]
- MPSV में ज़िला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य, दोनों के लिए एक ही कन्ट्रोल यूनिट होगी और दो बैलेट यूनिट। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15; ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- दोनों बैलेट यूनिट अलग-अलग मतदान प्रकोष्ठ में रखी जाएँगी: पहले प्रकोष्ठ में ज़िला परिषद सदस्य की बैलेट यूनिट, दूसरे में पंचायत समिति सदस्य की। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 29]
- उम्मीदवार नोटा मिलाकर 15 तक हों तो एक बैलेट यूनिट, 30 तक हों तो दो; और इस तरह दोनों पदों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार बैलेट यूनिट काम में ली जा सकती हैं। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 15]
- मतपत्र, स्टीकर और एड्रेस टैग का रंग: ज़िला परिषद सदस्य पीला, पंचायत समिति सदस्य नीला। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7]

नामांकन से पहले की जाँच-सूची: फ़ॉर्म

आधार: आयोग का आदेश 10062, दि. 06.10.2026 (नामांकन के काग़ज़)

- ☐ प्ररूप 4-क, यानी नामांकन पत्र, की सारी प्रविष्टियाँ भरी हैं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
- ☐ प्ररूप 4घ, यानी मुकदमों और सज़ा की घोषणा, पूरा भरा है। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 81]
- ☐ शपथ पत्र उपाबन्ध-I A पर, ₹50 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, प्रमाणित करवाया है। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1]
- ☐ कोई कॉलम खाली नहीं है (संतान वाले कॉलम को छोड़कर)। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 1; आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 3]
- ☐ प्ररूप आयोग के दिए हुए हैं (रिटर्निंग अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी या ज़िला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से); वे न मिले हों, तो उनकी फ़ोटोकॉपी; या टाइप किए हुए, जिनमें सारी प्रविष्टियाँ ज्यों की त्यों हैं। हाथ से लिखा कोई नहीं। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 3]

नामांकन से पहले की जाँच-सूची: बाकी काग़ज़

आधार: आयोग का आदेश 10062, दि. 06.10.2026, और धारा 19-ख “किसी पंचायतीराज संस्था में एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध”

- ☐ शौचालय की घोषणा भरी है। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2]
- ☐ जमानत (₹500 या ₹250) की रसीद लगाई है; रियायत ले रहे हैं, तो जाति प्रमाण पत्र भी। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2]
- ☐ आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, तो जाति प्रमाण पत्र लगाया है। [आदेश 10062, दि. 06.10.2026, पृ. 2]
- ☐ एक ही पंचायत समिति या एक ही ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र से लड़ रहे हैं। [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27]
- ☐ सब काग़ज़ लेकर खुद जाऊँगा/जाऊँगी: सुबह 11 से दोपहर 3 बजे, आख़िरी तारीख तक। [ईवीएम मार्गदर्शिका, पृ. 7; आदेश 9836, दि. 03.10.2026, पृ. 7–8; आदेश 9867, दि. 03.10.2026, पृ. 2]

प्रचार में कौन-से वाहन, कितने, किस अनुमति से

आधार: आयोग का आदेश 5052, दि. 23.12.2025, खण्ड 4 (वाहन)

- आयोग का आदेश 5052 (23.12.2025) पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और ज़िला परिषद सदस्य, चारों के चुनाव पर लागू है। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 98]
- चुनाव की अधिसूचना से चुनाव खत्म होने तक प्रचार में बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर, और तांगा, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी जैसे पशु से चलने वाले वाहन काम में नहीं ले सकते। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]
- बाकी वाहन, जैसे जीप, कार, तिपहिया टैम्पो: ज़िला परिषद सदस्य का उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 3, और पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 2। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]
- वाहन चलाने से कम से कम 24 घंटे पहले रिटर्निंग अधिकारी को लिखकर बताइए: वाहन का नंबर, प्रकार, और चालक का नाम-पता। अनुमति प्ररूप 'ख' में मिलेगी, जो उसी वाहन पर लगाकर रखनी है। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]
- 3 से ज़्यादा वाहनों की रैली या काफ़िला नहीं निकलेगा, और मतदान खत्म होने से पहले के 48 घंटों में ऐसी रैली पूरी तरह मना है। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]
- मतदान के दिन वाहन के लिए रिटर्निंग अधिकारी की लिखित अनुमति चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 के साथ धारा 123(5) टूटी, तो यह अनुमति बिना नोटिस रद्द होगी। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]

प्रचार वाले आदेश का मूल पाठ: वाहन

आधार: आयोग का आदेश 5052, दि. 23.12.2025, खण्ड 3 और 4 (वाहन)

3. **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा**— अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा (Campaigning or election related travel) के लिए निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगाः—

(i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस (iv) मेटाडोर एवं (v) पशुचालित किसी भी प्रकार का वाहन यथा तांगा, ऊँटगाडी, बैलगाड़ी आदि।

4. **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना**— उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगाः

1 (1) जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

2 (2) पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(3) सरपंच पद के चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;

(4) उक्त उप खण्ड (1) (2), या (3) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी (सरपंच के मामले में उपखण्ड अधिकारी) को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी; उक्त सूचना के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति लिखित में प्ररूप ''ख'' में जारी की जायेगी, जो अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहन पर प्रदर्शित (Display) की जायेगी;

3 (5) किसी भी निर्वाचन में उक्त उप खण्ड (1), (2) अथवा (3), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये वाहनों सहित 3 से अधिक वाहनों की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

मूल: आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

1. ज़िला परिषद सदस्य का उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 3 वाहन। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]

2. पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाहन। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]

3. 3 से ज़्यादा वाहनों की रैली या काफ़िला नहीं; मतदान खत्म होने के तय समय से पहले के 48 घंटों में ऐसी रैली पूरी तरह मना। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]

लाउडस्पीकर कब और कहाँ चला सकते हैं

आधार: आयोग का आदेश 5052, दि. 23.12.2025, खण्ड 5 (लाउडस्पीकर)

- उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय पर लाउडस्पीकर बिल्कुल नहीं चलेगा। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]
- मतदान खत्म होने से पहले के 48 घंटों में लाउडस्पीकर बिल्कुल नहीं चलेगा। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 99]
- अस्पताल, स्कूल और धार्मिक स्थल के 100 मीटर के अंदर लाउडस्पीकर बिल्कुल नहीं चलेगा। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- लाउडस्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही चल सकता है, और वह भी ज़िला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या दूसरे सक्षम अधिकारी की प्ररूप 'ग' में लिखित अनुमति के बाद। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- आवेदन में साफ़ लिखिए कि लाउडस्पीकर कब, कैसे और कहाँ बजेगा। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- आचरण संहिता भी कहती है: अनुमति समय रहते लीजिए, और अनुमति के बाद भी ऊँची आवाज़ में न बजाइए। [संकलन, पृ. 81]

पोस्टर, बैनर, होर्डिंग कहाँ लगा सकते हैं

आधार: आयोग का आदेश 5052, दि. 23.12.2025, खण्ड 6 (पोस्टर, बैनर आदि)

- पोस्टर छपवाते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क का पालन करना होगा। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- सार्वजनिक जगह पर लगाने हों, तो स्थानीय प्राधिकारी या कानून से अधिकृत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- जहाँ स्थानीय कानून में इसका प्रावधान नहीं, वहाँ निजी संपत्ति पर सिर्फ़ आसानी से हटने वाली सामग्री, जैसे झंडियाँ और बैनर, मालिक की लिखित अनुमति से लग सकती है। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर के अंदर कट-आउट, होर्डिंग, पोस्टर या बैनर नहीं लगेंगे। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- मतदान के दिन आप अपने चुनाव बूथ पर एक बैनर लगा सकते हैं, जो 2x5 फ़ुट से बड़ा न हो, और उस पर किसी नेता या उम्मीदवार का फ़ोटो, चुनाव चिह्न या नारा न हो। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- आमसभा, जुलूस या रैली के लिए उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति ज़रूरी है। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]

कितना खर्च कर सकते हैं, और हिसाब कैसे दें

आधार: आयोग का आदेश 5052, दि. 23.12.2025, खण्ड 7 'अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एवं इस आदेश का उल्लंघन'

पद	खर्च की अधिकतम सीमा
ज़िला परिषद सदस्य	₹3,00,000
पंचायत समिति सदस्य	₹1,50,000

स्रोत: आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100

- चुनाव खर्च का हिसाब आदेश के साथ लगे प्ररूप 'क' में, नतीजा घोषित होने के 15 दिन के अंदर, ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) या उनके अधिकृत अधिकारी के सामने पेश करना होगा। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- यह हिसाब ज़िला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर 3 दिन तक लगेगा, और उसके बाद के 7 दिन में कोई भी व्यक्ति उस खर्च पर आपत्ति कर सकता है। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]

यह सीमा किस खर्च की है: खण्ड 7 में लिखा है कि धारा 22क के तहत यह सीमा 'उपर उल्लेखित मदों के लिए किए जाने वाले खर्च' की है। आदेश में इससे ऊपर वाहन, लाउडस्पीकर और कट-आउट, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर की बातें हैं। शक हो, तो रिटर्निंग अधिकारी से पूछिए। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]

प्रचार वाले आदेश का मूल पाठ: खर्च और हिसाब

आधार: आयोग का आदेश 5052, दि. 23.12.2025, खण्ड 7 'अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एवं इस आदेश का उल्लंघन'

7. अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एवं इस आदेश का उल्लंघन :—(1)पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव हेतु धारा 22क (Section 22A)के अन्तर्गत उपर उल्लेखित मदों के लिए किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा नीचे दी गई तालिका में अंकितानुसार होगी ;

क. सं.	पद का नाम	अधिकतम खर्च सीमा
1.	जिला परिषद सदस्य के लिए	रूपये 3,00,000/—
2.	पंचायत समिति सदस्य के लिए	रूपये 1,50,000/—
3.	सरपंच के लिए	रूपये 1,00,000/—

(2) चुनाव खर्च का लेखा संलग्न प्ररूप ''क'' में परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के अन्दर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी /प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त लेखा जोखा को जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी सात दिवस में कोई भी व्यक्ति उक्त प्ररूप ''क'' में दर्शित खर्चे के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

मूल: आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100 · राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

- पहली पीली पंक्तियाँ: ज़िला परिषद सदस्य ₹3,00,000; पंचायत समिति सदस्य ₹1,50,000। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- दूसरा पीला हिस्सा, (2): खर्च का हिसाब प्ररूप 'क' में, नतीजे की घोषणा के 15 दिन के अंदर, ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर) या उनके अधिकृत अधिकारी के सामने। हिसाब 3 दिन नोटिस बोर्ड पर; उसके अगले 7 दिन में कोई भी आपत्ति कर सकता है। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]

प्रचार के नियम तोड़े, तो क्या होगा

आधार: धारा 22-क "यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंधन", राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994

- आदेश 5052 तोड़ने की शिकायत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उनके अधिकृत अधिकारी से की जा सकती है। वे खुद जाँच करेंगे, या तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों, ऐसे अधिकारी से करवाएँगे। [**खण्ड 7(3)** · आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 101]
- शिकायत सही निकली, तो मामला उपखण्ड अधिकारी को जाएगा, और वे सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश करेंगे। [**खण्ड 7(3) और 8** · आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 101]
- धारा 22क के मुताबिक, पाबंदी तोड़ने वाले उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को दोष सिद्ध होने पर ₹2,000 तक जुर्माना हो सकता है। [**धारा 22क** · आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 98]
- आयोग के आदेश से उसे छह साल तक पंचायती राज संस्था का सदस्य चुने जाने या सदस्य होने के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। [**धारा 22क** · आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 98]
- धारा 22-क के अनुसार आयोग की ये पाबंदियाँ चुनाव की अधिसूचना की तारीख से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक लागू रहती हैं। [**धारा 22-क(1)** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 57]
- आयोग कारण लिखकर बाद के आदेश से यह अयोग्यता हटा या घटा सकता है; और अदालत इस अपराध पर तभी विचार करेगी, जब आयोग के अधिकृत अधिकारी ने परिवाद किया हो। [**धारा 22-क** · मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 57–58]

आचरण संहिता: हमेशा क्या ध्यान रखें

आधार: राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता: (I) सामान्य आचरण

- ऐसा कोई काम नहीं, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या तनाव फैले। वोट के लिए धार्मिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं, और किसी पूजा-स्थल से प्रचार नहीं। [संकलन, पृ. 80]
- दूसरों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पुराने रिकॉर्ड और काम तक रखिए; किसी के निजी जीवन पर नहीं, और बिना जाँचे आरोपों या झूठी बातों के सहारे नहीं। [संकलन, पृ. 80]
- किसी के विचारों या काम का विरोध करने के लिए उसके घर के सामने प्रदर्शन या धरना नहीं। [संकलन, पृ. 80]
- किसी की ज़मीन, मकान, अहाते या दीवार पर बिना अनुमति चुनाव चिह्न, झंडा, पोस्टर, नारा या बैनर नहीं, और अपने समर्थकों को भी इसकी छूट न दीजिए। [संकलन, पृ. 80]
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के किसी कर्मचारी को अपना निर्वाचन, मतदान या गणन अभिकर्ता न बनाइए, और न उसे प्रचार के किसी काम में लगाइए। [संकलन, पृ. 81]

ये काम भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं

आधार: राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

- मतदान खत्म होने के तय समय से पहले के 48 घंटों में सार्वजनिक सभा करना। [संकलन, पृ. 80]
- किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या बाधा डालना। [संकलन, पृ. 80]
- मतदान केन्द्र में या उसके 100 मीटर के अंदर वोट माँगना। [संकलन, पृ. 80]
- मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहन लगाना। [संकलन, पृ. 80]
- मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास गड़बड़ करना, या मतदान के काम में बाधा डालना। [संकलन, पृ. 80]
- मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना-धमकाना, या किसी दूसरे के नाम से वोट डलवाना। [संकलन, पृ. 80]

संहिता इन कामों को चुनाव कानून के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध बताती है। आप और आपके कार्यकर्ता, कोई भी ये काम न करे।
[संकलन, पृ. 80]

सभा और जुलूस कैसे करें

आधार: राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

- दूसरे दल या उम्मीदवार की सभा या जुलूस में बाधा नहीं; जहाँ किसी की सभा चल रही हो, वहाँ से अपना जुलूस न ले जाइए, और दूसरों के पोस्टर न हटाइए। [संकलन, पृ. 81]
- सभा से पहले देख लीजिए कि वहाँ कोई निषेधाज्ञा तो लागू नहीं; लागू हो तो पालन कीजिए, और छूट चाहिए तो समय रहते सक्षम अधिकारी से लीजिए। [संकलन, पृ. 81]
- सभा की जगह और समय की सूचना पहले से स्थानीय पुलिस को दीजिए। [संकलन, पृ. 81]
- सभा में कोई गड़बड़ करे, तो ड्यूटी पर तैनात पुलिस की मदद लीजिए; खुद उस पर कोई कार्यवाही न कीजिए। [संकलन, पृ. 81]
- जुलूस कब और कहाँ से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा और किस रास्ते से जाएगा, यह पहले तय करके पुलिस को बताइए। जुलूस सड़क के एक ओर रहे, और यातायात न रुके। [संकलन, पृ. 81–82]
- जुलूस में ऐसी चीज़ें न हों जिनका उत्तेजना में गलत इस्तेमाल हो सके। दूसरे दल के नेताओं या उम्मीदवारों के पुतले न ले जाइए, न जलाइए। [संकलन, पृ. 82]

मतदान के दिन क्या करें, क्या न करें

आधार: राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता

- चुनाव ड्यूटी वाले अधिकारियों का सहयोग कीजिए, और अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को बिल्ले या पहचान पत्र दीजिए। [संकलन, पृ. 82]
- मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे सफ़ेद काग़ज़ पर हों; उन पर कोई चिह्न, उम्मीदवार का नाम या दल का नाम न हो। [संकलन, पृ. 82]
- आपके कैम्प सादे हों: टैंट, पोस्टर, झंडे, चिह्न, खाने की चीज़ें और भीड़ नहीं। मतदान केन्द्र के 200 मीटर के अंदर कैम्प किसी भी हालत में नहीं। [संकलन, पृ. 82–83]
- मतदान केन्द्र और उसके 100 मीटर के अंदर किसी मतदाता से वोट न माँगिए, न अपने कार्यकर्ताओं को माँगने दीजिए। [संकलन, पृ. 83]
- वाहन का परमिट लेकर वाहन पर साफ़ दिखे ऐसे लगाइए। उसमें उम्मीदवार, उसके परिवार, निर्वाचन एजेंट और उसके परिवार के सिवा किसी मतदाता को न बिठाइए। [संकलन, पृ. 83]
- किसी दूसरे के नाम से वोट डालने की कोशिश नहीं। मतदाताओं के सिवा कोई भी व्यक्ति आयोग के वैध पास के बिना मतदान केन्द्र में नहीं जाएगा। [संकलन, पृ. 83]

शराब पर रोक, और शिकायत किससे करें

आधार: राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिये आदर्श आचरण संहिता, और आयोग का आदेश 980

- संहिता के 'सामान्य आचरण' वाले हिस्से में लिखा है कि मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले न शराब खरीदी जाए, न किसी को पेश की जाए, न बाँटी जाए। [संकलन, पृ. 80]
- 'मतदान दिवस' वाले हिस्से में लिखा है कि मतदान के दिन और उससे पहले के 48 घंटों में किसी को शराब पेश न करें, न बाँटें। [संकलन, पृ. 82]
- आयोग के कानून-व्यवस्था वाले आदेश 980 में लिखा है कि मतदान खत्म होने से पहले के 48 घंटों में और गिनती के दिन शराब के इस्तेमाल, बिक्री और बाँटने पर रोक लगाई जाए। [आदेश 980, दि. 24.01.2026, संकलन पृ. 86]
- आयोग पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। चुनाव के संचालन को लेकर आपको या आपके अभिकर्ता को कोई खास शिकायत या परेशानी हो, तो पर्यवेक्षक को बता सकते हैं। [संकलन, पृ. 83]
- प्रचार वाले आदेश 5052 के टूटने की शिकायत ज़िला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या उनके अधिकृत अधिकारी से की जा सकती है। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 101]
- संहिता में सत्ताधारी दल के लिए अलग नियम भी हैं, जैसे सरकारी वाहन, विश्राम गृह और सरकारी खर्च पर विज्ञापन के बारे में। [संकलन, पृ. 83–84]

रिटर्निंग अधिकारी से क्या पूछें

आधार: इनका जवाब हमें स्रोतों में पूरा नहीं मिला; अपने रिटर्निंग अधिकारी से पक्का कीजिए

- नामांकन किस भवन में, किस कमरे में जमा होगा?
- जमानत राशि कहाँ और कैसे जमा होगी, और रसीद कौन देगा?
- जिसका 21वाँ जन्मदिन नामांकन और संवीक्षा के दिन के बीच पड़ता है, उसकी उम्र किस दिन की मानी जाएगी? [मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 27; मतपेटी मार्गदर्शिका, पृ. 54–56]
- ज़िला परिषद या पंचायत समिति सदस्य के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक चाहिए या नहीं, और चाहिए तो कितने?
- लाउडस्पीकर की अनुमति (प्ररूप 'ग') का आवेदन किसके पास देना है? आदेश में ज़िला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड मजिस्ट्रेट या दूसरे सक्षम अधिकारी, तीनों लिखे हैं। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 100]
- आदेश के साथ छपे प्ररूप 'ग' पर जारी करने वाले की जगह "रिटर्निंग अधिकारी जिला परिषद/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत" और "उपखण्ड अधिकारी" छपा है। [आदेश 5052, दि. 23.12.2025, संकलन पृ. 104]

स्रोत

- आदेश 753, दि. 20.01.2026
- आदेश 793, दि. 20.01.2026
- आदेश 980, दि. 24.01.2026
- आदेश 4196, दि. 17.10.2025
- आदेश 4805, दि. 25.06.2015
- आदेश 5052, दि. 23.12.2025
- आदेश 5936, दि. 12.12.2019
- आदेश 9836, दि. 03.10.2026
- आदेश 9867, दि. 03.10.2026
- आदेश 10055, दि. 06.10.2026
- आदेश 10062, दि. 06.10.2026
- आदेश 10090, दि. 06.10.2026
- मतपेटी मार्गदर्शिका
- ईवीएम मार्गदर्शिका
- संकलन
- पंचायती राज चुनाव क़ानून पुस्तिका (अंग्रेज़ी)
- पत्र 594, दि. 19.01.2026
- परिपत्र 2178, दि. 20.06.2019 (पत्र 594 के साथ)

सावधान: अंतिम और मान्य स्रोत आयोग के मूल आदेश और नियम ही हैं; इसमें उनसे कुछ अलग दिखे, तो आदेश और नियम ही मानिए।

भरे हुए नमूना प्ररूप, साभार: मनीष कुमार गोयल, राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर (SLMT), जयपुर। उनमें नाम, जगह और तारीखें काल्पनिक हैं।